न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री अनिल गुप्ता, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 1/2017 राज.गौवंशीय पशु वध का प्रतिषेध अधिनियम 1995

अनवानी : दर्शन कुमार पुत्र चन्द्रभान निवासी श्री जीवन डेयरी मण्डी डबवाली, जिला सिरसा (हरियाणा)

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, चूरु

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री राजेश लदरेचा — अभिभाषक अपीलांट
श्री ललित शर्मा — सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 2.1.2018

1. यह अपील राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम् 1995 की धारा 7(3) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर, चूरु के निर्णय दिनांक 22.11.17 जिसके द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना, रतनगढ द्वारा तीन ट्रकों में अभिगृहित (जब्त) किये 26 गाय 14 बछिया व 1 साण्ड को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.17 सुनवाई कर खारिज किया गया, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस थाना रतनगढ द्वारा जरिये मुखबीर इतला के आधार पर मेगा हाई–वे सुजानगढ रोड़ पर रामशरणम आश्रम के पास जाकर ट्रक नं0 एचआर 45बी 9774, एचआर 65–7190 एवं एचआर 45 सी 9577 की जांच की गयी । उक्त तीनों ट्रकों में कमशः 26 गायें, 14 बच्छियां व 1 साण्ड कुल 41 गौवंश भरे होने तथा ट्रक सं0 एचआर 45बी 9774 में 1 गाय मृत पाये जाने के आधार पर पुलिस दल रतनगढ द्वारा राज.गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 3 व 9 एवं पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम् 1960 की धारा 11 का उल्लंघन मानते हुए मुकदमा नं. 338/2017 दिनांक 12.11.17 दर्ज कर 40 गौवंशीय पशुधन ट्रक सहित जब्त किया जाकर गौवंश को देखरेख व खाने पीने के लिए पिंजरापोल गोशाला रतनगढ में सुपुर्द कर दिया । उक्त जब्त शुदा गौवंश को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा सक्षम अधिकारी (जिला कलक्टर चूरु) के समक्ष दिनांक 15.11.17 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो निर्णय दिनांक 22.11.2017 द्वारा गौवंश परिवहन के दौरान एक गाय की मृत्यु होने व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों को देखते हुए गौवंश को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित नहीं समझते हुए प्रार्थी अपीलान्ट का गोवंश सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुध्द अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया । प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री राजेश लदरेचा एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक श्री ललित शर्मा की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट को श्री बी.एन. मधुकर निवासी राज राजेश्वरी नगर बैंगलोर, कर्नाटक निवासी द्वारा डेयरी व्यवसाय के लिए हरियाणा से दुधारु गाय 26, बच्छड़े 12 व साण्ड 1 को वाहन के माध्यम से डेयरी व्यवसाय के लिए Kadurtaluk Chikkeagaluru Distric, Jodihochihalli-577175 तक परिवहन के लिए अधिकृत किया जाने पर प्रार्थी अपीलान्ट वाहन सं0 एचआर 45बी 9774, एचआर 65–7190 एवं एचआर 45 सी 9577 से गौवंश को निश्चित स्थान बैंगलोर, कर्नाटक ले जा रहा था । रास्ते में सुजानगढ मेगा हाई वे पर पुलिस थाना रतनगढ द्वारा तीनों ट्रकों सहित गोवंश को जब्त कर सभी गौवंश को पिंजरा प्रोल गौशाला रतनगढ को सुपुर्द किया गया है । अपीलान्ट द्वारा उप निदेशक, पशु पालन विभाग, करनाल (हरियाणा) से गौवंश परिवहन हेतु तीनों वाहनों के लिए दिनांक 9–11–17 को (अवधि 7 दिवस) ट्रांजिट परमिट प्राप्त किया गया, जिस पर प्रत्येक गाय का ट्रेग नम्बर लगाया हुआ है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि परिवहन के दौरान एक गाय की मृत्यु होने का विवेचन गलत किया गया है । वास्तव में गो वंश को जब्त करने के बाद ट्रकों से नीचे उतारने के दौरान एक गाय की रस्सी से गला घुटने के कारण मृत्यु हुई है । यह कथन सही नहीं है कि गायें ठुस–ठुस कर वाहनों में भरी हुई थी, जबकि 26 गायों को तीन वाहनों में परिवहन किया जा रहा था, जो पर्याप्त है । प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि प्रार्थी अपीलान्ट की बैंगलोर (कर्नाटक) में डेयरी चलती है । डेयरी हेतु हरियाणा से अच्छी नस्ल के गौवंश को खरीदने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है । यदि गौवंश को नहीं लौटाया गया तो प्रार्थी अपीलान्ट के सामने गम्भीर आर्थिक संकट की स्थिति आ सकती है । प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी अण्डर टेकिंग दी गयी थी कि जब्तशुदा गौवंश दुधारु पशु है, जिन्हें डेयरी उपयोग के लिए परिवहन किया जा रहा है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर जब्त शुदा गौवंश जो पिंजरा पोल, गोशाला रतनगढ में है, प्रार्थी अपीलान्ट को सुपुर्द करने के आदेश फरमावें ।

6. राज्य पक्ष की ओर से श्री ललित शर्मा, सहायक लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट दर्शनसिंह को अपील प्रस्तुत करने की लोकस्टण्डाई नहीं है, क्योंकि कनार्टक बैंगलोर के डेयरी मालिक बी.एन मधुकर द्वारा अपीलान्ट दर्शन कुमार को केवल गौवंश के परिवहन हेतु शपथ पत्र दिया गया है । अतः अपीलान्ट को

इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की कोई वैद्य स्थिति नहीं है । अभिभाषक अपीलान्ट ने गौवंश करनाल हरियाणा से क्रय करने का कथन किया है, किन्तु कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चूरु द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.17 धारा 7(1) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर में पारित किया गया है । प्रकरण के सम्बन्ध में आपराधिक मुकदमा सक्षम न्यायालय में जेरकार है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्य नजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार पुलिस थाना रतनगढ द्वारा मेगा हाई–वे सुजानगढ रोड़ पर दिनांक 11.11.17 को ट्रक नं0 एचआर 45बी 9774, एचआर 65–7190 एवं एचआर 45 सी 9577 की जांच की गयी । उक्त तीनों ट्रकों में क्रमशः 26 गायें, 14 बच्छियां व 1 साण्ड कुल 41 गौवंश भरे होने तथा ट्रक सं0 एचआर 45बी 9774 में 1 गाय मृत पाये जाने के आधार पर पुलिस दल रतनगढ द्वारा राज.गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 3, 8, 9 एवं पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम् 1960 की धारा 11 का उल्लंघन मानते हुए मुकदमा नं. 338/2017 दर्ज कर 41 गौवंशीय पशुधन ट्रक सहित जब्त किया जाकर गौवंश को देखरेख व खाने पीने के लिए पिंजरापोल गोशाला रतनगढ में सुपुर्द कर दिया । उक्त जब्त शुदा गौवंश को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा सक्षम अधिकारी (जिला कलक्टर चूरु) के समक्ष दिनांक 15.11.17 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो निर्णय दिनांक 22.11.2017 द्वारा गौवंश परिवहन के दौरान एक गाय की मृत्यु होने व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों को देखते हुए गौवंश को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित नहीं समझते हुए प्रार्थी अपीलान्ट का गोवंश सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुध्द अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

8. उभय पक्ष की बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के अनुसार निम्न तथ्य प्रकट होते हैं :–

   1. प्रकरण में पुलिस थाना रतनगढ द्वारा राज.गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 3,8 व 9 एवं पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम् 1960 की धारा 11 का उल्लंघन मानते हुए मुकदमा सं0 338/2017 दर्ज किया जाकर इन धाराओं के अन्तर्गत मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

   2. प्रकरण में उप निदेशक, पशुपालन विभाग आई.सी.डी.पी जिला करनाल हरियाणा द्वारा दिनांक 9.11.2017 को ट्रक नम्बर एच.आर 45सी 9577 में 9 गाय मय बछड़ा, ट्रक नम्बर एचआर 45 बी–9774 में 9 गाय मय बछड़ा तथा ट्रक नम्बर एचआर 65–7190 में 8 गाय मय बछड़ा व 1 साण्ड कुल 3 ट्रकों में परिवहन करने का करनाल से

राजराजेश्वरी नगर बेंगलोर साउथ के लिए परमिट जारी किया गया था, जिसमें प्रत्येक गौवंश की शिनाख्त(पहचान) हेतु टेग नं0 दर्ज किये हुए हैं । उपरोक्त तीनों ट्रकों की रसीद सं0 कमशः 24, 25, 26 दिनांक 9–11–17 राशि प्रत्येक रसीद 1080 की काटी गयी है ।

3. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील के साथ बी.एन. मधुकर पुत्र बी.एन. नागार्जु निवासी राजराजेश्वरी नगर बेंगलोर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलान्ट दर्शन कुमार पुत्र चन्द्रभान निवासी श्री जीवन डेयरी, मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा को 26 गाय, 13 बछड़े व 1 साण्ड को डबवाली हरियाणा से परिवहन के लिए अधिकृत किया गया है, जो नोटेरी से प्रमाणित है । परन्तु उक्त शपथ पत्र में दर्शनकुमार को अपील आदि अथवा न्यायिक कार्यवाही के लिए अधिकृत करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

4. जिला करनाल हरियाणा से राजराजेश्वरी नगर बैंगलोर साउथ के लिए परिवहन के दौरान दिनांक 11–11–2017 को सुजानगढ मेगा हाई वे पर पुलिस थाना रतनगढ द्वारा तीनों ट्रकों की जांच के पश्चात रिपोर्ट में ट्रक सं0 एचआर 45बी 9774 में 1 गाय मृत पाये जाने का उल्लेख किया है । उक्त गाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 12.11.17 में दम घुटन एवं गला घोंटने से मृत्यु कारित होना बताया है, जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा अवलोकन कर निर्णय पारित किया जाना है ।

5. राज.गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 7(1) में प्रावधान दिया है कि अभिग्रहीत (जब्त) किये गये गौवंशीय पशुओं की अभिरक्षा, मामले का अन्तिम निपटारा होने तक सक्षम प्राधिकारी जिला कलक्टर के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी या राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के उपबन्धों के अधीन शासित किसी गौशाला या गोसदन को सौंपी जा सकेगी । जिला कलक्टर सक्षम अधिकारी हैं, किन्तु इस प्रकरण में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ द्वारा जब्त शुदा गौवंश की देखरेख व रखने की व्यवस्था हेतु पींजरापोल गौशाला रतनगढ को निर्देशित किया गया है,जिसे जिला कलक्टर द्वारा कन्फर्मेशन नहीं किया गया है ।

9. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रकरण में बी.एन. मधुकर पुत्र बी.एन. नागार्जु निवासी राजराजेश्वरी नगर बेंगलोर द्वारा अपीलान्ट दर्शन कुमार पुत्र चन्द्रभान निवासी श्री जीवन डेयरी, मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा को 26 गाय, 13 बछड़े व 1 साण्ड को डबवाली हरियाणा से परिवहन के लिए अधिकृत किया गया है । दर्शन कुमार द्वारा परिवहन हेतु उप निदेशक, पशुपालन विभाग आई.सी.डी.पी जिला करनाल हरियाणा द्वारा दिनांक 9.11.2017 को ट्रक नम्बर एच.आर 45सी 9577 में 9 गाय मय बछड़ा, ट्रक नम्बर एचआर 45 बी–9774 में 9 गाय मय बछड़ा तथा ट्रक नम्बर एचआर 65–7190 में 8 गाय मय बछड़ा व 1 साण्ड कुल 3 ट्रकों में परिवहन करने का

करनाल से राजाराजेश्वरी नगर बेंगलोर साउथ के लिए परमिट जारी करवाया जाकर तीनों ट्रकों की रसीद सं0 कमशः 24, 25, 26 दिनांक 9–11–17 राशि प्रत्येक रसीद 1080 की काटी गयी है । उपरोक्त ट्रांजिट पास का प्रमाणीकरण पुलिस थाना रतनगढ द्वारा किया जा चुका है तथा ट्रांजिस पास में प्रत्येक गौवंश की शिनाख्त(पहचान) हेतु टेग नं0 दर्ज किये हुए हैं । प्रकरण में पुलिस थाना रतनगढ द्वारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 3,8 व 9 एवं पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम् 1960 की धारा 11 के उल्लंघन होने का मुकदमा सं0 338/2017 दर्ज होकर मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा गौवंशीय पशु पिंजरापोल गोशाला रतनगढ में उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के निर्देशाानुसार रखे हुए हैं, जिसे सक्षम अधिकारी (जिला कलक्टर चूरु) द्वारा कन्फर्म नहीं किया गया है। प्रकरण में जिला कलक्टर, चूरु द्वारा अपीलान्ट दर्शन कुमार के सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर स्पीकिंग ऑर्डर पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर चूरु द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.17 निरस्त किया जाता है । प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, चूरु को निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है:–

1. प्रार्थी दर्शनकुमार द्वारा श्री बी.एन. मधुकर की ओर से सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की वैद्य स्थिति निर्धारित की जावे ।
2. पींजरापोल गोशाल रतनगढ से समस्त गायों की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा प्रत्येक गाय के टेग नम्बर लगा है, को कन्फर्म किये जावें ।
3. जब्तशुदा गौवंश की मेडिकल रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, चूरु से प्राप्त किया जावे ।
4. श्री बी.एन. मधुकर जिनके नाम से गायों को ले जाने हेतु परमिट जारी हुआ है, के द्वारा बैंगलोर (कर्नाटक) में डेयरी व्यवसाय करने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे ।
5. प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर गौवंश की सुपुर्दगी दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देशानुसार कार्यवाही एक माह में निस्तारण किया जावे ।

10. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 2.1.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल गुप्ता)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर